चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे ‘‘मिशन शक्ति अभियान-4’’ के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/‘‘शक्ति दीदी’’ द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

‘‘मिशन शक्ति अभियान-4’’ व ‘‘शक्ति दीदी’’ अभियान के तहत आज दिनांक 05.08.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को ‘‘मिशन शक्ति’’ व ‘‘शक्ति दीदी’’ के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित ‘‘एंटी रोमियो स्क्वायड’’ टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 05.08.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदिका श्रीमती पल्लवी पत्नी आशीष पाण्डे निवासी कर्वी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष पति आशीष पाण्डेय,ससुर वेद प्रकाश,व देवर अमित पाण्डेय द्वारा लड़ाई झगड़ा,गाली गलौज करना तथा अतिरिक्त दहेज की मांग तथा मारपीट करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। परिवार परामर्श केन्द्र प्रभारी उ0नि0 श्रीमती गीता देवी,महिला मुख्य आरक्षी श्रीमती रजनी देवी व महिला आरक्षी शिवाग्नी द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस मे पारिवारिक सामजस्य बनाकर रहने तथा कर्तव्यों का सही से पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़े को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

<u>समझौता कराने वाली टीमः-</u>

1.प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र उ0नि0 श्रीमती गीता देवी

2.महिला मुख्य आरक्षी श्रीमती रजनी सिंह

3.महिला आरक्षी शिवाग्नी

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाए जाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह व क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री श्रीप्रकाश यादव के मार्गदर्शन में थाना मानिकपुर पुलिस टीम द्वारा काशीराम कॉलोनी उमरी मानिकपुर में हुई चोरी के नामजद 02 अभियुक्तों को चोरी की 39 अदद लोहे की छड़, 08 बिजली का बोर्ड,17 चिटकनी,10 हत्था लोहे के, 01 सरकुण्डा लोहा, 01 एंगल लोहे का, 03 अदद हथौड़ा, 01 अदद छैनी के साथ गिरफ्तार किया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-</u>

1. दिवाकर कोल पुत्र सत्यनारायण कोल निवासी उमरी थाना मानिकपुर जिला चित्रकूट
2. छोटा कोल पुत्र नन्दा कोल उम्र करीब 25 वर्ष निवासी उमरी थाना मानिकपुर जिला चित्रकूट

<u>बरामदगी-</u>

39 अदद लोहे की छड़

08 बिजली का बोर्ड

17 चिटकनी

10 हत्था लोहे के

01 सरकुण्डा लोहा

01 एंगल लोहे का

03 अदद हथौड़ा लोहे का

01 अदद छैनी

<u>गिरफ्तारी का स्थान/दिनाँक/समय-</u>

काशीराम कॉलोनी से लगभग 500 मीटर आगे मानिकपुर रोड /04.08.2025/16.25 बजे

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 03.08.2025 को वादी रामपाल पुत्र झुन्नी निवासी ग्राम हेला थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट द्वारा थाना मानिकपुर में सूचना दिया गया कि दिनांक 02.08.2025 को समय करीब 09 बजे दिन काशीराम कॉलोनी उमरी के पास बने कमरों के लोहे कि खिड़की के राड,एंगल व लाइट बोर्ड का समान दिवाकर कोल पुत्र सत्यनारायण कोल व छोटा कोल पुत्र नन्दा कोल निवासीगण ग्राम उमरी थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट द्वारा चोरी करके ले जाना। इस सूचना पर मु0अ0सं0 139/2025 धारा 303(2) बीएनएस बनाम 1. दिवाकर कोल पुत्र सत्यनारायण कोल उम्र 24 वर्ष निवासी उमरी थाना मानिकपुर जिला चित्रकूट 2. छोटा कोल पुत्र नन्दा कोल उम्र करीब 25 वर्ष निवासी उमरी थाना मानिकपुर जिला चित्रकूट पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक द्वारा चोरी की घटना का शीघ्र अनावरण हेतु प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए । प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर द्वारा उ0नि0 श्री कृपानन्दन शर्मा व उनकी टीम को चोरी की घटना के शीघ्र अनावरण हेतु लगाया गया था।

दिनाँक 04.08.2025 को उ0नि0 व उनकी टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त की विवेचना में मामूर थे कि काशीराम कॉलोनी के पास रास्ते में दो व्यक्ति खड़े दिखाई दिये पुलिस वालों देखकर पास में रखे सामान को छोड़कर मानिकपुर की तरफ भागने लगे । थाना मानिकपुर पुलिस टीम द्वारा एक वारगी दबिस देकर काशीराम कॉलोनी से लगभग 500 मीटर आगे दोनों व्यक्ति को पकड़ लिया । पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछा गया तो 1. दिवाकर कोल पुत्र सत्यनारायण कोल निवासी उमरी थाना मानिकपुर जिला चित्रकूट 2. छोटा कोल पुत्र नन्दा कोल उम्र करीब 25 वर्ष निवासी उमरी थाना मानिकपुर जिला चित्रकूट बताया। सामान के बारे में कड़ाई से पूंछने पर अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि परसो सुबह हम दोनों लोग बन्द पड़ी काशीराम कॉलोनी से यह खिड़की का एंगल,दरवाजा की चिटकनी,हत्था,सरिया,बिजली के बोर्ड आदि सामान चोरी करके ले जा रहे थे कि तभी ग्राम हेला के रामपाल ने देख लिया था । हम लोगों द्वारा डर के कारण चोरी किये गये सामान को काशीराम कॉलोनी के पास ही जंगल में छिपाकर रख गये थे । जिसे दिनांक 04.08.2025 को हम लोगों द्वारा जंगल से निकालकर बाजार में बेचने के लिए ले जाने हेतु वाहन का इंतजार कर रहे थे कि आप लोगों ने पकड़ लिया ।

मुकदमा उपरोक्त के माल मशरूका की वरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) BNS की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री कृपानन्दन शर्मा थाना मानिकपुर

2.आरक्षी ललित सोनी

(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी प्रशान्त कुमार व प्रभारी मॉनिटरिंग सेल श्री प्रभूनाथ यादव व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चित्रकूट श्री अनुराग कुरील द्वारा आज दिनाँक 05.08.2025 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 11/2014 धारा 147,148,364,149,353,354,332,323,225ख,506 व 07 सीएलए एक्ट के आरोपी अभियुक्त1. रामू गुप्ता पुत्र भोला प्रसाद 2. श्यामू गुप्ता पुत्र भोला प्रसाद 3.भोलानाथ उर्फ भोला प्रसाद पुत्र भुल्ला 4. मदन गुप्ता पुत्र भोला प्रसाद

गुप्ता निवासीगण चित्रा रोड़ चौकी सीतापुर 5. मतगंजन गुप्ता पुत्र बेटाईलाल निवासी बरछा डडिया थाना फतेहगंज जनपद बांदा 6. महेश प्रसाद गुप्ता पुत्र छविलाल 7. रामचरित्र पुत्र छविलाल निवासीगण रमयापुर थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट 8.शत्रुघन गुप्ता पुत्र स्व0 ताराचन्द्र नई कोतवाली कर्वी के पीछे द्वारिकापुरी कर्वी 9.बालाप्रसाद गुप्ता उर्फ विनोद गुप्ता पुत्र निवासी बीबीपुर थाना सौरिख जनपद कन्नौज हाल पता टैम्पो स्टैण्ड सीतापुर कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व प्रत्येक को 11500 रुपए के अर्थदण्ड व 03 आरोपी अभियुक्ता 1.गुडिया पत्नी मतगंजन निवासी बरछा डडिया थाना फतेहगंज जनपद बांदा 2. मुन्नी देवी पत्नी भोला प्रसाद निवासी चितरा रोड़ कर्वी 3. सुशीला देवी पत्नी रामचरित्र निवासी रमयापुर थाना पहाड़ी को 02 वर्ष सश्रम कारावास व 8500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनांक 07.01.014 को वादी तत्कालीन उ0नि0 श्री रामकुमार शर्मा कोतवाली कर्वी द्वारा कोतवाली कर्वी पर सूचना दी गयी गयी कि उपरोक्त अभियुक्तगणों द्वारा एक राय होकर लाठी डण्डों से लैस होकर पुलिस टीम के साथ मारपीट की एवं सरकारी कार्य में बाँधा पहुंचाने व महिला पुलिस कर्मियों से अश्लील हरकते करके गम्भीर चोट पहुंचाना। सूचना पर कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 11/2014 धारा 147,148,364,149,353,354,332,323,364,506 व 07 सीएलए एक्ट पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री नंदलाल सिंह द्वारा सम्पादित की गयी। आरोपियों को गिरफ्तार कर दिनाँक 17.06.014 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया।